

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :- 06/23 (जीसीएमएस नम्बर-2023/97)

उनवानी प्रकरण :-

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ----- सायल।

बनाम

श्री शाहिद पुत्र जहीर जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी कहारपाडा थाना सरमथुरा जिला
धौलपुर ----- गैरसायल।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

- 1- सायल की ओर से :- सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।
- 2- गैरसायल की ओर से :- श्री आकाश लहरी अभिभाषक धौलपुर।

निर्णय दिनांक 09.03.2026

निर्णय

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, पुलिस थाना सरमथुरा से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध गैरसायल श्री शाहिद पुत्र जहीर जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी कहारपाडा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गैरसायल आदतन सट्टा/जुआ खेलने का आदी है तथा रूपयो पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता कई बार पकड़ा है। उक्त अपराध एक सेवा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग का को खोखला कर दिया है। गैरसायल को बार-बार जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरुद्ध चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहाँ वह स्वयं को इलाका का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वही अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है जिसके कारण आम नागरिक उसके विरुद्ध ना तो साक्ष्य देना चाहता है, ना ही उसके भय के कारण स्वतन्त्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों को अथवा पुलिस को दे पा रहा है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सरमथुरा पर दर्ज

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

अपराधों का विवरण इस प्रकार है:- मु0न0 407/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 31.10.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 212 दिनांक 28.11.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 3.12.2021 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 420/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 11.11.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 236 दिनांक 6.12.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 28.1.2021 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 458/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 16.12.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 269 दिनांक 20.12.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 12.11.2021 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 426/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 13.11.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 225 दिनांक 28.11.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 8.10.2021 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैरसायल शाहिद पुत्र जहीर के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पडा हुआ है। उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(5)(8) की तारीफ में आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त आधारों पर गैरसायल शाहिद पुत्र जहीर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के तहत! मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

गैरसायल की ओर से श्री आकाश लहरी अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया। गैरसायल/उनके अभिभाषक द्वारा बार-बार जबाव पेश करने हेतु समय चाहा गया। कई बार मौका दिये जाने के उपरांत भी गैरसायल द्वारा जबाव पेश नहीं किया गया। न्यायहित में अंतिम अवसर दिये जाने के बाद भी जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अंत में अभिभाषक गैरसायल ने जबाव पेश करने से इंकार किया गया तथा नोटिस का जबाव प्रस्तुत नहीं किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मु0न0 407/2020, 420/2020, 458/2020 व 426/2020 में दर्ज एफ0आई0आर, चार्जशीट, प्रति फैसला तथा आपराधिक रिकार्ड की सूची प्रस्तुत की। गैरसायल ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। सायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध 04 प्रकरण दर्ज है। उक्त सभी प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय किए जा चुके हैं। आलोच्य वर्ष 2020 में गैरसायल के विरुद्ध 04 प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये हैं किन्तु गैरसायल अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। गैरसायल आदतन जुआ

खेलना, खिलाने, सट्टेबाजी करने का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है, समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, गैरसायल शाहिद का स्वच्छन्द रहना जनता हित में ठीक नहीं है। गैरसायल का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की परिधि में आता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल एक धार्मिक व सामाजिक व्यक्ति है। गैरसायल एक गरीब व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैरसायल शांति प्रिय व्यक्ति है, उसका अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से किसी प्रकार से सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उक्त सभी मुकदमें 13 आर0पी0जी0ओ0 के हैं जो कि अभियान के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज किये गये थे। गैरसायल का धौलपुर में किसी भी थाने में अपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध किसी भी प्रकार के गम्भीर अपराध नहीं है। गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा अधिनियम के अधीन कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण्ण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :-

“(आ) “गुण्डा” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो-

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

6. महिलाओं एवं लड़कियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया हो, अथवा
7. हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :- किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहाँ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में गैरसायल के विरुद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:- मु0न0 407/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 31.10.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 212 दिनांक 28.11.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 3.12.2021 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 420/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 11.11.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 236 दिनांक 6.12.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 28.1.2021 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 458/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 16.12.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 269 दिनांक 20.12.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 12.11.2021 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 426/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 13.11.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 225 दिनांक 28.11.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 8.10.2021 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। गैरसायल अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरुद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा क्योंकि धारा 2 (ख) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि " राजस्थान सार्वजनिक जूआ अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,

न्याया0जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
वमुकःसरकार बनाम शाहिद
इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, राज0गुण्डा नियंत्रण अधि01975
प्रकरण संख्या 6/2023

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गैरसालय राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता है, वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और गैरसायल को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। गैरसायल शाहिद पुत्र जहीर उम्र 28 साल जाति मुसलमान निवासी कहारपाडा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में गैरसायल जिला करौली में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय-अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेन्सी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। गैरसायल प्रथमतः पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर गैरसायल को पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगा। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में गैर सायल शाहिद पुत्र जहीर उम्र 28 साल जाति मुसलमान निवासी कहारपाडा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगा। 15 दिवस पूरे होने पर गैरसायल जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 9.3.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

